

29/8/24

क) पश्/ हा/ 14/14

पत्रावली पेशा हुई। कादीगण मग आधिकारिता
उपस्थित नहीं। का-का विधिवत आवाजलगाके
पर भी कादीगण व इनके आधिकारिता गंगालय
में उपस्थित नहीं होने से बादपत्र अदम हलारी
व अदम पौरी में त्वारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा